

सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास



# प्रदेश के किसानों के लिए अटल सोलर फोटोवोल्टेईक सिंचाई पम्प योजना



के अन्तर्गत

— सोलर सिंचाई पम्प पर —

अनुदान प्राप्त करने का

**स्वर्णिम अवसर**



— दिनांक 08 जुलाई, 2019 से लक्ष्य पूर्ण होने तक —

सोलर पम्प का प्रकार एवं क्षमता	सोलर पम्प की निर्धारित कीमत	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	कुल अनुदान	कृषक अंश
2 एच.पी. डी.सी. सर्फेस	124420	55989	31105	87094	37326
2 एच.पी. ए.सी. सर्फेस	124420	55989	31105	87094	37326
3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबुल	188600	84870	47150	132020	56580
3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबुल	184554	83049	46139	129188	55366
5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबुल	243590	48718	48718	97436	146154

## योजना की पात्रता/शर्तें

- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट [www.upagripardarshi.gov.in](http://www.upagripardarshi.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- जनपद में लक्ष्य की सीमा तक ही कृषकों का चयन किया जायेगा।
- 'पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ' के सिद्धान्त के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा।
- बोरिंग स्थल पर विद्युत कनेक्शन न हो।
- पंजीकृत कृषकों द्वारा 8 जुलाई, 2019 से जनपद की लक्ष्य पूर्ति तक बैंक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।
- कृषक अंश का बैंक ड्राफ्ट 08 जुलाई, 2019 अथवा आगे की तिथियों का होना चाहिए।
- कृषक से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते ही उप कृषि निदेशक इसे पोर्टल पर अपलोड कर, एक सप्ताह के अन्दर कृषक की पात्रता का सत्यापन करते हुए, संबंधित फर्मों को सूची सहित ड्राफ्ट का विवरण पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

**पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ**

**कृषक भाई बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।**

बैंक ड्राफ्ट एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिये अपने जिले के उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।

**सूर्य प्रताप शाही**

मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, उ.प्र.

**रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह)**

राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, उ.प्र.

कृषि, पेस्ट नियंत्रण अपनाएं-फसल, खाद्यान्न सुरक्षित बचाएं

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश